न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/413
मिसल नम्बर– 104 / 2024
1.सोहन लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री नाथूलाल जी
2.श्रीमती अमोलक देवी पत्नी श्री सोहनलाल शर्मा निवासीगण 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा
प्रार्थी।

बनाम

1.प्रवीण शर्मा पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा
2.रूबी शर्मा पत्नी श्री प्रवीण शर्मा
3.उदय शर्मा पुत्र श्री प्रवीण शर्मा
4.अभय शर्मा पुत्र श्री प्रवीण शर्मा उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिए वली पितता प्रवीण शर्मा पुत्री सोहन लाल शर्मा निवासीगण 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा
अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र)
दिनांक 25/06/25

उपस्थितिः–

1.श्री चन्द्रप्रकाश दाधीच अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री संजीव विजय़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी हैं। प्रार्थीगण क्रम–1 जो कि पूर्व में इंस्ट्रमेंटेशन लि० में कार्यरत था, जहां से आई एल के बंद होने के कारण कार्य छोड़ना पड़ा। प्रार्थीगण क्रम–1 ने अपनी धीरे–धीरे सहजी हुई पूंजी से एक मकान नम्बर 4 एफ–2 तलवण्डी कोटा जो कि राजस्थान आवासन मण्डल कोटा द्वारा आवंटित हुआ था, जिसकी समस्त राशि जमा होने के पश्चात प्रिपेचुअल लीज दिनांक 13–11–1990 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 515 कम संख्या 5687 द्वारा कार्यालय उप पंजीयक कोटा के यहां पंजिबद्ध है तथा कनवेन्स डीड अलोटी दिनांक 13–11–1990 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 515 कम संख्या 5688 द्वारा कार्योलय उप पंजीयक कोटा के यहां पंजिबद्ध है। प्रार्थीगण तब से ही उक्त मकान में अपना जीवन आसानी से यापन कर रहे थे और प्रार्थीगण के दो पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ और प्रार्थीगण द्वारा उनका विवाह भी कर दिया गया है। जन्म एवं विवाह से ही प्रार्थीगण के पुत्र जो कि प्रतिपक्षी क्रम–1 व सुरेन्द्र शर्मा है एवं उनकी पत्नीयां क्रमशः प्रतिपक्षी क्रम 2 व आशा शर्मा हैं। प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के पुत्र क्रमशः प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 हैं। सुरेन्द्र शर्मा के पुत्र पुत्री क्रमशः अक्षिता व कार्तिक भी प्रार्थीगण के पास ही निवासरत हैं। प्रार्थीगण की पुत्री का विवाह सत्येन्द्र सिंह के साथ लगभग 25 वर्ष पूर्व हो गया था। प्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय से ही दोनों पुत्रों (प्रतिपक्षी क्रम–1 व सुरेन्द्र शर्मा) को इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल ऐरिया रोड नम्बर 4 दिनेश गेस गोदाम के पास 2 कॉमर्शियल प्लॉट

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आजिविका हेतु दिलवा दिए थे जिनकी रजिस्ट्री भी तत्समय ही दोनों पुत्रों के नाम करवा दी थी। जिसमें दोनों पुत्र अपना– अपना व्यवसाय करके अपनी आजिविका कमा रहे हैं । आई एल फैक्ट्री के बंद होने के पश्चात से ही प्रार्थीगण की आजिविका लगभग प्रायः समाप्त हो गई है मात्र कुछ पेंशन राशि प्राप्त होती है तथा किराये से कुछ राशि प्राप्त होती है जिससे प्रार्थीगण अपना गुजर–बसर करते हैं। प्रार्थीगण ने कभी भी अपने दोनों पुत्रों से अपने जीवन यापन के लिए किसी भी राशि की कोई मांग नही की है। अपितु प्रार्थीगण ही अपने पौत्र –पोत्रियों पर अक्सर खर्च करते रहे हैं। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित मकान भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल बना हुआ है। भूतल पर प्रार्थीगण का पुत्र सुरेन्द्र शर्मा अपने परिवार सहित निवास करता है, द्वितीय तल पर स्थित 2 कमरे, किचिन लेट बाथ में प्रार्थीगण अपनी स्वय की आजिविका हेतु कोचिंग छात्रो को किराये पर रखते हैं। प्रथम तल पर प्रार्थीगण अपने पुत्र प्रतिपक्षी क्रम–1 के परिवार सहित निवास करता है। विगत 10 वर्षो से प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 लगातार प्रार्थीगण को मानसिक प्रताड़ित करते हैं तथा यदा–कदा इस हद तक प्रार्थीगण के साथ क्रुरता व हिंसक व्यवहार करते हैं जिससे प्रार्थीगण का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 के व्यवहार को देखते हुए प्रतिपक्षी क्रम–3 व 4 भी यदा कदा इसी तरह का व्यवहार प्रार्थीगण से करते है। यहां तक की सभी प्रतिपक्षीगण माता–पिता व सास ससुर की मर्यादाओं को भी लांघकर सभी के सामने बेइज्जत करते हैं । प्रार्थीगण विगत 10 वर्षों से आज तक उक्त वर्णित दुखों व परेशानियों को इसलिए नजर अंदाज करते जा रहे थे कि प्रार्थीगण के पौत्र –पौत्री बडे हो जाऐं लेकिन अब प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत–2 के व्यवहार से प्रतिपक्षी क्रम–3 व 4 के मस्तिष्क में भी प्रार्थीगण के प्रति वैमनस्यता व कड़वाहट घोल दी है जिससे वह भी अपने दादा–दादी के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। प्रतिपक्षी क्रम–2 जो कि प्रार्थीगण क्रम–2 के साथ अत्यधिक क्रुर हो जाती है, यहां पर यह भी आलेखित करना अति आवश्यक हो जाता है कि प्रार्थीगण जो कि अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके है और उनको दिन भर घर पर ही रहना पड़ता है और प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 उसके पुत्र पुत्री भी उन्हीं के साथ रहते है, साथ रहते हुए इन सब ताने व कटु व्यवहार को झेलना अब प्रार्थीगण के बर्दाश्त के बाहर हो गया है। प्रार्थीगण शरीर से अत्यधिक दुर्बल हो गये है, फिर भी प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण का कोई ध्यान नहीं रखते है। प्रतिपक्षी क्रम– 1 व 2 ने तो कई बार प्रार्थीगण को मरने तक के लिए एवं मकान से निकल जाओ तक बोल दिया। यहां तक कह दिया कि यदि नहीं निकलों तो हम आपको धक्के देकर निकाल दें व इस तुम्हारे विरूद्ध झूठे केस लगाकर तुम्हें जेल में सड़वा देगें जिससे तुम्हारा बचा हुआ बुढ़ापा जेल में ही कटेगा तथा कई बार इस तरह की धमकी भी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सुसाईड नोट लिखकर आत्म हत्या कर लूंगी, और मेरा पति व मेरे बेटे तुम्हारे खिलाफ गवाही देगें जिससे तुम जेल में ही आजीवन सडते रहोंगे। विगत 2 माह से प्रतिपक्षीगण का व्यवहार एकदम आक्रामक व हिंसक हो गया है। जिससे अब प्रार्थीगण को उनके साथ रहने में भी भय व्याप्त हो गया है, कि पता नही कब वह प्रार्थीगण के साथ कोई गम्भीर वारदात कर दें जिससे कि प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति को हड़प सकें। प्रार्थीगण ने हमेशा ही अपने पुत्रों, पुत्र वधुओं, पौत्र–पौत्री के लिए भला ही सोचा है लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बनने पर आतुर हो जाएँ और वृद्धावस्था में जिन पुत्रों से प्रार्थीगण सेवा –सुश्रुषा की उम्मीद करते हो उनको सेवा–सुश्रुषा के बदले तिरस्कार, हीन भावना से देखा जाए, उनके साथ गाली–गलौच की जाए उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय की शरण में आकर सहायता की गुहार लगाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
को.

मकाल में अपने दोनों पुत्रों को अलग–अलग निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध करवाए ा जो कि वर्तमान में प्रतिपक्षी क्रम –1 के पास आवास हेतु एक प्लॉट 20 इंद्र 50=1000 वर्गफीट का स्टील ब्रिज से आगे 80 फीट बोरखेडा लिंक रोड पर स्थित विश्वकर्मा नगर कोटा में स्थित है। प्रतिपक्षीगण की नियत 10 वर्ष पूर्व से आज तक हमेशा यही बनी रहती है कि कब इनकी (प्रार्थीगण) मृत्यु हो ओर कब हम इस पूरी सम्पति पर काबिज हो सकें, हमेशा इसी बुरी नजर से प्रार्थीगण को देखते आ रहे हैं। प्रार्थी क्रम 1 अस्थमा का रोगी है जिसके कारण प्रार्थी क्रम–1 को अस्थमा अटेक आने पर हर दो–तीन माह में चिकित्सालय में एडमिट होना पड़ता है। चिकित्सालय में भर्ती व वापस आने की स्थिति में भी प्रतिपक्षीगण का व्यवहार पूर्व की भांति यथावत कायम रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की सम्पत्ति मकान नम्बर 4–एफ–2 तलवण्डी कोटा में निवास कर रहे प्रतिपक्षीगणों को उक्त वर्णित मकान से तुरंत बेदखल कर निष्कासित किए जाने के आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे मनगढन्त तथ्यो का सहारा लेकर एवं अपने स्वयं को वरिष्ठ नागरिक के रूप मे दर्शाकर माननीय न्यायालय से अपेक्षित आदेश प्राप्त करने की नियत से प्रतिपक्षीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो किसी भी रूप मे चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को पूर्णतया परेशान करने की नियत से एवं माननीय न्यायालय में वास्तविक तथ्यो को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता मे प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 ने प्रार्थीगण की हमेशा सेवा सुश्रुषा की है जब भी प्रार्थीगण कोई भी कार्य प्रतिपक्षी क्रम 1 को बताते थे तो वह पूर्णतया सहज रूप से पूरा करता था और प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 ने हमेशा प्रार्थीगण को वैवाहिक समय से ही प्यार व प्रेम से रखा कभी भी प्रतिपक्षी क्रम 2 ने अपने आचरण से कोई शिकायत प्रार्थीगण को नही आने दी तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 भी हमेशा प्रार्थीगण के पास ही रहे है और आज भी प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4, प्रार्थीगण की सेवा मे हमेशा तत्पर रहे है। प्रार्थीगण ने अपने बडे पुत्र सुरेन्द्र शर्मा एवं बडी पुत्रवधु आशा शर्मा के कहने मे आकर एवं उनके दवाब से उक्त मुकदमा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करवाया है वास्तविकता में प्रतिपक्षी क्रम 1 का बडा भाई सुरेन्द्र शर्मा प्रतिपक्षी क्रम 1 पर बार बार काफी समय से यह दवाब बना रहा था कि प्रतिपक्षी क्रम 1 अपना व्यवसायिक स्थान जो इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया में प्लाट नं0 एस–22 के नाम से स्थित है, उसे मेरे नाम कर दे, नही तो तेरे साथ ऐसी चाल चलूंगा कि तुझें मकान नं० 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा से रूखसत करा दूंगा अर्थात प्रार्थीगण से कहकर तुझे वहां से भगा दूंगा। प्रतिपक्षी क्रम 1 ने जब अपने भाई सुरेंद्र शर्मा की बात नही मानी और प्लाट एस 22 उसके नाम करने से यह कहते हुये इंकार कर दिया कि उसकी अर्थात प्रतिपक्षी क्रम 1 की आय का एकमात्र जरिया प्लाट एस 22 है जहां से प्रतिपक्षी क्रम 1 चार पहिया वाहनो की सर्विसिंग का कार्य करता है। तब से सुरेन्द्र शर्मा प्रार्थीगण के कान भरने लग गया कि प्रतिपक्षी क्रम 1 को परिवार सहित यहां से कैसे भी करके झूठे तथ्यो का सहारा लेकर तलवण्डी स्थित उक्त मकान से बेदखल कर दो, तभी जाकर प्रतिपक्षी क्रम 1 को अक्ल आयेगी और वह उक्त मुकदमे के दवाब से एस 22 प्लाट मेरे नाम कर देगा। प्रतिपक्षी क्रम 1 का विवाह प्रतिपक्षी क्रम 2 से दिनांक 15.02.2002 मे हुआ था तब से ही प्रतिपक्षी क्रम 2, प्रतिपक्षी क्रम 1 के

न्यायालय उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

एवं प्रार्थीगण के साथ मकान नं० 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा में प्रेमपूर्वक निवास करती आ रही है अर्थात् गत 23 वर्षो से प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण के साथ ही प्रेम पूर्वक निवास कर रहे है। इस दौरान कभी भी कोई भी शिकायत प्रार्थीगण को प्रतिपक्षीगण ने अपने व्यवहार एव आचरण से नही आने दी। यदि कोई शिकायत या कोई रिपोर्ट प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के विरूद्ध कराई है तो प्रार्थीगण इसे दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करे। प्रार्थी कम 2 प्रतिपक्षी कम 1 की माताजी है एवं प्रतिपक्षी कम 2 की सास है। प्रार्थी कम 2 राजनैतिक क्षेत्र की महिला है जो राजनीति करना जानती है और राजनेतिक क्षेत्र मे परिपूर्ण है अर्थात प्रार्थी कम 2 ने वर्ष 2004 में एवं वर्ष 2009 में अपने इसी तलवण्डी क्षेत्र से नगर निगम कोटा का पार्षद का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लडा था और चुनाव जीती थी। तत्पश्चात वर्ष 2020 में चुनाव लडी और हारी तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी ने प्रार्थी कम 2 को सह वरित पार्षद बनाया। इस प्रकार प्रार्थी कम 2 कुछ समय पूर्व से अपने पुत्र सुरेन्द्र शर्मा व पुत्रवधू आशा शर्मा के कहने में आकर आये दिन प्रतिपक्षी कम 2 से वाद विवाद उत्पन्न करती है व गाली गलौच करती है और बात बात पर ताने मारती है कि बडी पुत्रवधू तो उसके पीहर से अच्छा खासा मोटा माल लाई है और यदि तू भी अपने पीहर से माल लायेगी तो तुझे इस मकान में रहने देंग जिस पर प्रतिपक्षी क्रम 2, प्रार्थी कम 2 से यह कहती कि मेरे पीहर वालो की इतनी हैसियत नही है कि वह आपको खुश कर दे। क्योकि प्रतिपक्षी कम 2 के पिता का देहान्त हो गया है जिस पर प्रार्थी कम 2 कूर हो जाती और प्रतिपक्षी कम 2 से अनावश्यक रूप से गाली गलौच कर विवाद उत्पन्न करती और बात बात पर ताने मारती है ताकि प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी कम 2 के तानो से व्यथित होकर तलवण्डी स्थित उक्त मकान से निकल जाये। जबकि प्रतिपक्षी कम 2 कभी भी प्रार्थी कम 2 को उनके द्वारा की गई हरकतो के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रत्रिकिया व्यक्त नही करती है बल्कि प्रार्थीगण की सेवा में तत्पर रहती है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में द्वितीय तल पर अर्थात तीसरी मंजिल पर दो कमरे, किचन, लेट–बाथ होने की बात बताई है जबकि द्वितीय तल पर 5 कमरे बनाये गये है जो कि प्रतिपक्षी कम 1 एवं प्रतिपक्षी कम 1 के बड़े भाई सुरेन्द्र शर्मा ने आधी आधी राशि देकर अपनी स्वयं की स्वअर्जित आय से वर्ष 2013 में बनाये थे जिस पर प्रतिपक्षी क्रम 1 का भी पूर्ण अधिकार है। दिनांक 23 जुलाई 2023 को मध्य रात्रि के समय अचानक प्रतिपक्षी कम 1 के सीने मे अत्यधिक तेज दर्द महसूस हुआ तो प्रतिपक्षी कम 1 को तत्काल सुधा हॉस्पीटल तलवण्डी कोटा मे एडमिट कराया जहां पर प्रतिपक्षी कम 1 की हार्ट से संबंधित समस्त जांचे प्रतिपक्षी कम 2 ने अपने एवं अपने पडौसी धनंजय शर्मा से राशि उधार लेकर अस्पताल मे जमा की और बडी जांचे करवाई और प्रतिपक्षी कम 1 का अन्य ईलाज चिरंजीवी योजना के माध्यम से कराया और प्रतिपक्षी क्रम 1 दिनांक 24.07.2023 से 26.07 2023 तक सुधा अस्पताल कोटा मे भर्ती रहा और प्रतिपक्षी कम 1 के हार्ट की बीमारी हो जाने से प्रतिपक्षी कम 1 उस समय 7 माह तक अपने व्यवसाय स्थल पर रोजगार करने हेतु नही जा सका और दवाईयो का व अन्य खर्चा प्रतिपक्षी कम 2 ने पडौसी से एवं अपने रिश्तेदारो से राशि उधार लेकर प्रतिपक्षी कम 1 का ईलाज करवाया और आज भी प्रतिपक्षी कम 1 जेर ईलाज है तथा शारीरिक रूप से प्रतिपक्षी कम 1 कमजोर स्थिति मे आ गया है और चिकित्सको ने भी प्रतिपक्षी कम 1 को तनावमुक्त वातावरण में रहने के लिये कहा है परन्तु प्रतिपक्षी कम 1 के प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने से काफी तनाव मे आ गया है और प्रतिपक्षी कम 2 घरेलू महिला है तथा प्रतिपक्षी कम 3 व 4 वर्तमान मे अध्ययनरत है। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण के पास वर्तमान में आय का कोई मजबूत साधन नही है और प्रतिपक्षीगण के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है और प्रतिपक्षीगण राशन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हू ले रहे है जिससे कुछ सहारा हो रहा है परन्तु वर्तमान में प्रतिपक्षीगण की स्थिति को देयनीय हो गई है। ऐसे में यदि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तो प्रतिपक्षीगण सडक पर आ जायेगे और उन्हें भूखो मरने की नोबत आ जायेगी। प्रार्थीगण अपने बडे पुत्र एवं बडी पुत्रवधू के पूर्ण बहकांवे मे आकर माननीय न्यायालय से प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध अपेक्षित आदेश प्राप्त करना चाहते है जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2, प्रार्थीगण की आज भी पूर्णतया सेवा–सुश्रुषा दैनिक प्रतिदिन कर रहे है, यह बात आस –पडौसिये को भी ज्ञात है कि प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण के प्रति सहनशील है तथा प्रतिपक्षीगण हमेशा के लिये प्रार्थीगण के साथ ही उक्त मकान नं0 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा में निवास करना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित मकान मेरी स्वअर्जित आय से बनी सम्पति है इसमें किसी का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण के 2 पुत्र है, अप्रार्थी नं0 1 को ही प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है दूसरे पुत्र को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी नं0 1 सेवानिवृत कर्मचारी है जिनका पेशन प्राप्त होती है। वर्णित मकान की तृतीय मंजिल पर बने 5 कमरे से प्राप्त होने वाला किराया भी प्रार्थीगण ही रखते है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है और ना ही कोई केस है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि हमने प्रार्थीगण को परेशान किया हो। प्रार्थीगण द्वारा अपने दोनो पुत्रों को निवास हेतु स्थान उपलब्ध कराने का कथन करते हुये स्टील ब्रिज से आगे 80 फीट बोरखेड़ा लिंक रोड पर एक आवास अप्रार्थी नं0 1 के पास होना बताया है परन्तु अप्रार्थीगण को इस संबंध में कोई जानकारी नही है। प्रतिपक्षी क्रम 1 का बडा भाई सुरेन्द्र शर्मा प्रतिपक्षी क्रम 1 पर बार बार काफी समय से यह दवाब बना रहा था कि प्रतिपक्षी क्रम 1 अपना व्यवसायिक स्थान जो इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया में प्लाट नं0 एस–22 के नाम से स्थित है, उसे मेरे नाम कर दे, नही तो तेरे साथ ऐसी चाल चलूंगा कि तुझें मकान नं० 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा से रूखसत करा दूंगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मानसिक प्रताडित करने एवं मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 4 एफ 2 तलवण्डी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अपने बड़े पुत्र एवं पुत्रवधु के बहकावे में केवल मात्र अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस में अप्रार्थीगण के उक्त कथन को बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है और ना ही अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में साक्ष्यी दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा बड़े पुत्र एवं पुत्रवधु के बहकावे में आकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का जो कथन अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है वह उचित प्रतीत होते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अपने बड़े पुत्र एवं पुत्रवधु को पक्षकार नही बनाया है केवल

उपखण्ड अधिकारी
को.

...ण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण परिवार के मुखिया है उनका ...ा है कि वह दोनो पुत्रों के मध्य सामंजस्य बिठाये। एक पुत्र के बहकावे में आकर दूसरे ... विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/06/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा